

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक C/3526/

जबलपुर, दिनांक 28/07/2018

श्री अविनाश चन्द्र, शीघ्रलेखक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर को दिनांक 19.03.18 से 05.05.18 तक 48 दिन का अर्जित अवकाश, दिनांक 06.05.18 से 04.06.18 तक 30 दिन का लघुकृत अवकाश एवं दिनांक 05.06.18 से 07.07.18 तक 33 दिन का असाधारण अवकाश (Extraordinary Leave) तथा मुख्यालय से बाहर रहने की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है।

सही/-

(प्रकाश चन्द्र गुप्ता)

प्रिंसिपल रजिस्ट्रार (सतर्कता)

पृष्ठांकन क्रमांक C/3527/

जबलपुर, दिनांक 28/07/2018

प्रतिलिपि :-

1. रजिस्ट्रार (आई.टी.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर आदेश उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु,
2. असि. रजिस्ट्रार (स्था.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
3. अनु. अधिकारी लेखा/पेंशन, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
4. सहायक वेतन पत्रक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को इस निर्देश के साथ कि भुगतान किये गये वेतन में 33 दिन के असाधारण अवकाश का कटौती करते हुए दिनांक 08.07.18 शासकीय अवकाश एवं कर्त्तव्य पर उपस्थित दिनांक 09.07.18 से वेतन का भुगतान किया जावे,
5. सहायक अवकाश/सेवापुस्तिका/प्रोटोकॉल, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
6. दो अतिरिक्त प्रति ऑफिस टायपिस्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
7. श्री अविनाश चन्द्र, शीघ्रलेखक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

U8 Dubey 28/7/2018  
(यू.एस. दुबे)

रजिस्ट्रार कम-पी.पी.एस.

h